न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 142/2018/अपील

नानूराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 565 दिनांक 31.07.2011 ग्राम चैनपुरा द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री बनवारीलाल

निर्णय **दिनांकः—27.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 151 लगायत 153 रकबा 0.86 है0 चाही व खसरा नम्बर 144 लगायत 149, 151/837 रकबा 2.87 है0 चाही व खसरा नम्बर 611 लगायत 614 रकबा 6.67 है0 बारानी तन ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिसमें अपीलान्ट अपने क्रयशुदा भूमि व पैतृक भूमि के हिस्से पर काबिज काश्तकार है। उपरोक्त भूमियों के संबंध में एक वाद रूकमा देवी बनाम तुलसी देवी आदि मु0 नं0 777/2002 दिनांक 28.08.2008 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा निर्णय व डिक्री जारी किया। तदनुसार अपीलान्ट के पिता उदाराम पुत्र सुण्डाराम के हिस्से की उक्त विवादित भूमियों की खातेदारी उनके विधिक वारिसान के नाम प्रत्येक का हिस्सा 1/6, 1/6 किया जाने का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा सुण्डाराम के अन्य पुत्रगण पुराराम, सोनाराम, कानाराम का हिस्सा अप्रभावी मानकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की पर्चा डिक्री जारी की गयी। उक्त निर्णय के अनुसार रेस्पोडेन्ट ने विवादित भूमियों का राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 418 दिनांक 31.07.2011 को खसरा नम्बर 151 लगायत 153 व खसरा नम्बर 611 लगायत 614 की तो उसे हिस्से अनुसार सही दर्ज किया गया, परन्तु खसरा नम्बर 144 लगायत 149, खसरा नम्बर 151/837 का नामान्तकरण संख्या 565 ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर को राजस्व रिकार्ड खातेदार का हक हिस्सा जो न्यायालय के निर्णय व डिक्री अनुसार सही दर्ज नहीं किया गया। अपीलान्ट का सजरा खानदान इस प्रकार से हैः—

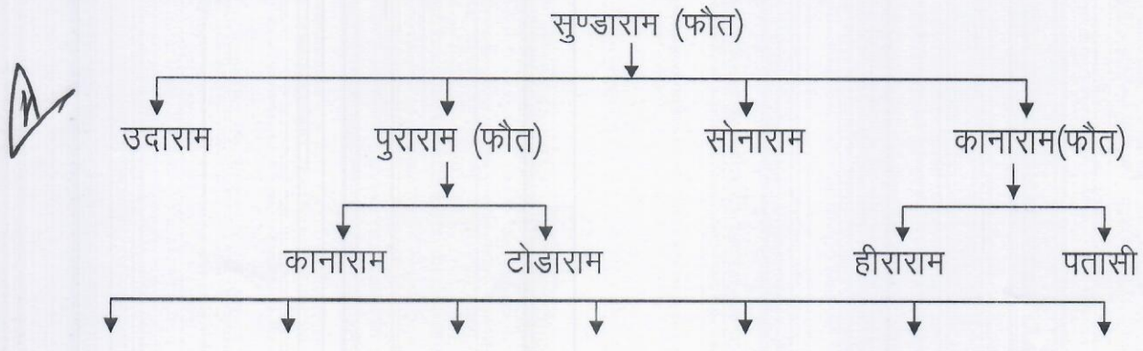

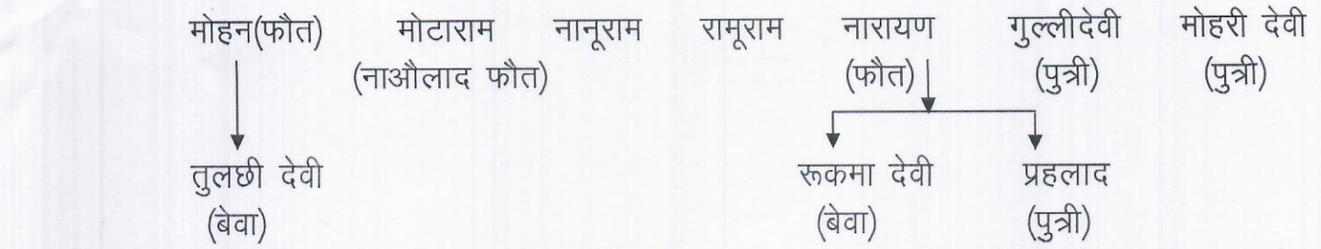

उपरोक्तानुसार वर्णित सजरा खानदान मे अपीलान्ट के पिता उदाराम फौत होने पर विरासत नामान्तकरण संख्या 146 ग्राम चैनपुरा का केवल मात्र मोहन, मोटा नानू तीनों पुत्रों के नाम भरा गया है। अपीलान्ट व नारायण दोनों भाईयों ने उक्त भूमियों में से सोनाराम पुत्र सुण्डाराम का हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1980 को क्रय कर लिया, जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 198 दिनांक 03.09.1982 द्वारा खातेदारी अपीलान्ट व नारायण के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया जिसके अनुसार अपीलान्ट का हिस्सा 1/8 व नारायण पुत्र उदाराम का 1/8 हिस्सा की खातेदारी अलग से दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 611लगायत 614 व खसरा नम्बर 144 लगायत 149, 151/837 खसरा नम्बर 151 लगायत 153 ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का रूकमा देवी बनाम तुलसी देवी आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर में पैतृक कृषि भूमि उदाराम के फौत होने पर विरासत नामान्तकरण गलत खातेदारी होने का पेश किया, जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2008 को किया गया। जिसके अनुसार उदाराम के वारिसान का हिस्सा 1/6 – 1/6 प्रत्येक को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार नामान्तकरण संख्या 418 व 565 दिनांक 31.07.2011 को भरा गया, जिसमें नामान्तकरण संख्या 418 भूमि खसरा नम्बर 151 लगायत 153 व खसरा नम्बर 611 लगायत 614 को सही भरा गया। इसमें उदाराम के सभी वारिसान का हिस्सा 1/24–1/24 भरा गया जो निर्णय व डिक्री के अनुसार सही भरा गया परन्तु नामान्तरकरण संख्या 565 को गलत रूप से इन्द्राज किया गया जो कि निर्णय व डिक्री के अनुसार नहीं भरा गया, क्योंकि इसमें उदाराम के सभी वारिसान का हिस्सा 3/48 कर दिया गया जो निर्णय व डिक्रि के अनुसार नहीं है, क्योंकि निर्णय व डिक्री के अनुसार उदाराम के सभी वारिसानों के 1/24–1/24 हिस्सा भाग की खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया गया था तथा उसी अनुसार भरा जाना चाहिए था जो माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध भरा गया है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 565 ग्राम चैनपुरा पटवार हल्का कुली निरस्त किया जाकर न्यायालय एस.डी.ओ. दांतारामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2008 के अनुसार खसरा नम्बर 144 से 149, 151/837 का नामान्तकरण भरा जाने का आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के न्यायालय द्वारा प्रकरण अनुवानी रूकमादेवी बनाम तुलसीदेवी प्रकरण संख्या 777/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2008 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पारित डिक्री दिनांक 28.08.2008 इस प्रकार है कि राजीनामा अनुसार दावा वादीगण व प्रतिवादीगणइस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित खसरा नम्बर 611 लगायत 614 किता 4 रकबा 6.67 है0 बारानी, खसरा नम्बर 151, 152, 153 रकबा 0.86 है0 चाही, खसरा नम्बर 144 लगायत 149, 151/837 रकबा 2.87 है0 चाही तन चैनपुरा में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 10, 11 के पूर्वज स्व0 उदाराम पुत्र सुण्डाराम का 1/4 हिस्सा की विवादित भूमियों में से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम बहिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता

है। सुण्डाराम के अन्य पुत्रगण पुराराम, सोनाराम, कानाराम पि0 सुण्डाराम के वारिसान का हिस्सा अप्रभावी रहेगा। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री में अंकित वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम बहिस्सा 1/6, 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण में उक्त वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा 3/48 अंकित कर रखा है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2008 के अनुसार सही तस्दीक नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 565 निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की प्रति प्राप्ति के 1 माह में यदि डिक्री दिनांक 28.08.2008 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के सम्बंध में आदिनांक अन्य किसी न्यायालय का सक्षम आदेश/स्थगन नहीं हो तो डिक्री निर्णय अनुसार हिस्सों के आधार पर नामान्तकरण पुनः तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर